



संख्या— 303

12/04/2017

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना, 12 अप्रैल 2017 ::- आज दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को कैबिनेट की बैठक में 19 मामलों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव मंत्रिमंडल श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए आगे बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस०एल०पी० सं०-204/2010 एवं इससे उत्पन्न सिविल अपील सं०-857/2016 में दिनांक-03.02.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों में से दो पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति तिथि से बिहार पुलिस सेवा में पुनः नियुक्ति के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में अपर पुलिस अधीक्षक में उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति देने हेतु दिनांक-31.12.2010 से दोनों पदाधिकारियों के पदस्थापन काल तक के लिये अपर पुलिस अधीक्षक के दो अधिसंख्य पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 135 (एक सौ पैंतीस) कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में सृजित "सहायक निदेशक, सांख्यिकी" के एक पद को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर "सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी" के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली, 2017 के गठन की स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई अनुदान की राशि के लिए कुल 2952.00 करोड़ (दो हजार नौ सौ बावन करोड़) रूपये अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना तथा प्रेस एवं फार्म्स गया के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों के क्रय हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना को शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) के लिए अधिकृत विक्रेता घोषित करते हुए उसके निर्धारित दर पर कागज क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य

के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी०जी० छात्रों द्वारा अन्य कोर्स में नामांकन लेने के उद्देश्य से नामांकित कोर्स बीच में छोड़ने की स्थिति में बंधेज राशि अधिरोपित करने एवं पी०जी० उत्तीर्ण होने के उपरान्त राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० चंद्रशेखर कुमार तत्कालीन सिविल सर्जन, सिवान (संप्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय नगर निकाय कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में, सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर पंचायत को नगर परिषद् घोषित करने के संबंध में, नगर विकास एवं आवास विभाग सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले संपदाओं को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु "एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क" (अद्यतन बाजार दर का 10% राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2017 की स्वीकृति, बिहार राज्य के लिए ब्लैक स्पॉट परिभाषा, पहचान एवं नयाचार (प्रोटोकॉल) अधिसूचित करने की स्वीकृति तथा परिवहन विभाग के ही तहत बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2017 की स्वीकृति प्रदान की गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह -निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निलम्बित), श्रमायुक्त कार्यालय, पटना को नये सिरे से दिनांक-15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त (dismiss) करने की स्वीकृति तथा वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत विभागीय सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगामी एक वर्ष (दिनांक-23.08.2016 से 22.08.2017 तक) हेतु टी०सी०एस० के वार्षिक रख-रखाव (Annual Maintenance Charges (AMC)) के नवीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर टी०सी०एस० को देय कुल राशि रू० 10434600/- (एक करोड़ चार लाख चौतीस हजार छः सौ मात्र) तथा इस राशि पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं सेवा कर की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
